करोल बाग शाखा,
1001, फैज रोड, आर्य समाज रोड क्रॉसिंग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005;
ई-मेल: ndlg@federalbank.co.in

फेडरल बैंक

स्वर्ण ऋण - मांग सूचना

सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, श्री रोहित शर्मा, जिनका निधन हो चुका है, उन्होंने सोने के आभूषण गिरवी रखकर द फेडरल बैंक लिमिटेड की करोल बाग शाखा से एक स्वर्ण ऋण (**खाता सं.-13826800006051 में**) लिया था।

यदि किसी व्यक्ति का उक्त सोने के आभूषणों पर कोई दावा है, तो कृपया फेडरल बैंक लिमिटेड, करोल बाग से संपर्क करें और इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर बैंक को देय ब्याज और अन्य शुल्कों सहित पूरी बकाया राशि जमा करके गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को छुड़ा लें, अन्यथा, बैंक बिना किसी और सूचना के गिरवी रखे सोने के आभूषणों की नीलामी करने या निजी बिक्री करने के लिए बाध्य होगा, और ऐसे किसी भी दावे के संदर्भ को माफ या त्याग दिया गया माना जाएगा।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25.02.2026

शाखा प्रमुख, द फेडरल बैंक लि.
करोल बाग शाखा, 1001, फैज रोड,
आर्य समाज रोड क्रॉसिंग, करोल बाग, नई दिल्ली

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

शाखा बिशारा, गौतम बुद्ध नगर

केनरा बैंक PIGMY/NND एजेंट अश्विनी ने 25-02-2026 से बैंक से इस्तीफा दे दिया है। अगर किसी ग्राहक का कोई क्लेम है, तो कृपया सार्वजनिक सूचना के 30 दिनों के अंदर बैंक को बताएं और तय समय सीमा खत्म होने के बाद कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधक
बिशारा शाखा, गौतमबुद्ध नगर

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

माँग सूचना
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, आगरा

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल एसैट्स एण्ड एन्फोर्समैन्ट आफ सिक्योरिटी इन्टरैस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस

निम्नलिखित सम्बन्धित ऋणियों द्वारा बैंक के पक्ष में उनके अथवा उनके जमानतदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभूतियों अनुसूची सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाने के आधार पर ऋण सुविधाएँ प्रदान की गई थीं। आपके द्वारा बैंक के पक्ष में शीर्षक विलेख के माध्यम से सुरक्षा हित बनाने हेतु बंधक रखी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नलिखित है। जैसा कि ऋणकर्ता एवं उनके जमानतदारों द्वारा देयताएँ/बकाया धन राशि अदा न करने के कारण उनके खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने बकाया राशि के भुगतान हेतु पंजीकृत डाक द्वारा माँग नोटिस भेजा गया थाजो कि बिना डिलीवरी वापस आ गये हैं। अत: बैंक यह सूचना आपको अखबार के प्रकाशन के माध्यम से दी जा रही है।

ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	माँग नोटिस की रकम (₹)
ऋणी- मेसर्स लकी एंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर- श्री चन्द्र पाल पुत्र श्री ठाकुर दास, दोनों का पता- नारायण नगर बोदला बिचपुरी रोड, आगरा, गारंटर- श्री रिंकू कुमार पुत्र धर्म पाल सिंह, **श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री चन्द्र पाल (बंधककर्ता/गारंटर) के कानूनी प्रतिनिधि-** 1. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी पत्नी रिंकू कुमार, 2. श्री जीतू पुत्र चन्द्र पाल, 3. सुश्री गौरी कुमारी पुत्री चन्द्र पाल सिंह, 4. श्रीमती पूजा कुमारी पुत्री चन्द्र पाल सिंह, 5. श्रीमती कल्पना कुमारी पुत्री चन्द्र पाल सिंह, 6. श्रीमती माया कुमारी पुत्री चन्द्र पाल सिंह, सभी का पता- नई आबादी नगर नारायण नगर बोदला, आगरा	साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति मकान नंबर 33/1/ए नगर निगम नंबर 44ए/एनएन/पी-33 नारायण नगर, लोहामंडी, आगरा, **एरिया-** 167.22 वर्गमीटर, संपत्ति श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री चंद्र पाल के नाम, **चौहद्दी:** पूर्व: रास्ता 25 फीट चौड़ा, पश्चिम: कॉलोनी की ज़मीन, उत्तर: भगवान सिंह का प्लॉट नंबर 31, दक्षिण: कॉलोनी की ज़मीन	20.02.2026	33,53,398.32 दि. 20.02.2026 + ब्याज व अन्य खर्चे

अत: **यदि आप, उपरोक्त वर्णित व्यक्ति** अपनी देनदारियों को भविष्य में देय संविदात्मक ब्याज एवं प्रासंगिक खर्चों, लागत, प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण रूप से बैंक को, धारा 13(2) के अन्तर्गत इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो बैंक उक्त एक्ट की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी एक अधिकार जिसका विवरण उक्त धारा में दिया गया है, का या उक्त एक्ट में दिये गये अन्य लागू प्रावधानों का प्रयोग करेगा।

यह नोटिस, बैंक अपने अन्य समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए, जिसके अनुसार बैंक यदि आवश्यक समझता है, तो विधि के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी अन्य कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही कर सकता है, प्रेषित कर रहा है।

दिनांक: 26-02-2026 स्थान : आगरा **प्राधिकृत अधिकारी**

IDBI BANK **अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस**

आईडीबीआई बैंक, नील कमल बिल्डिंग, 367 शिवाजी रोड, ईव्ज क्रॉसिंग, मेरठ (उ.प्र.)- 250001

धारा 13 (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्ननिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस

आईडीबीआई बैंक, नील कमल बिल्डिंग, शाखा द्वारा नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों को साम्यिक बंधक रखते हुये ऋण प्रदान किया गया। उधारकर्ताओं/गारंटरों के नियम एवं शर्तों के अनुसार ऋण की अदायगी करने में असफल रहने के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक देयों की वसूली हेतु सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित तिथियों को माँग नोटिस जारी किया गया एवं रजिस्टर्ड पोस्ट एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से उधारकर्ताओं/गारंटरों को भेजा गया। दिये गये पते से डाक वापस आने के कारण उक्त माँग नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि इस माँग नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर बैंक के समस्त देयों (ब्याज, वसूली व्यय एवं प्रभार आदि) को भुगतान करें अन्यथा समस्त देयों की वसूली हेतु बैंक सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की कब्जा एवं नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। **'उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"**

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख	नोटिस के अनुसार देय राशि
1.	1. श्री ताहिर अली पुत्र बाबू खान (ऋणी), मकान नं. 103, गली नं. 18/1 एल, आशियाना कॉलोनी,जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 250002, इसके अतिरिक्त मकान नं. 300, गली नं. 18एल/1, फखरूद्दीन अली अहमद नगर /अहमद नगर, ग्राम फतेहल्लापुर खसरा नं. 3735, मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-250002, 2. श्रीमती शकीला पत्नी ताहिर अली (सह0 ऋणी और बंधककर्ता), मकान नं. 103, गली नं. 18/1एल, आशियाना कॉलोनी, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 250002, इसके अतिरिक्त मकान नं.300, गली नं. 18एल/1, फखरूद्दीन अली अहमद नगर /अहमद नगर, ग्राम फतेहल्लापुर खसरा नं. 3735, मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-250002,	बंधक आवासीय मकान जिसका नगर निगम नं. 300, क्षेत्रफल माप 120 वर्ग गज अर्थात् 100.33 वर्गमीटर, खसरा नं. 3735 पर आधारित ग्राम फतेहल्ला -पुर, परगना जिला और तहसील मेरठ,अब फखरूद्दीन अली अहमद नगर/ अहमद नगर गली नं. 18 एल/1, मेरठ के नाम से जाना जाता है। जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार है:- पूर्व- 24 फीट तत्पश्चात् नौशाद का मकान, पश्चिम- 24 फीट तत्पश्चात् 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- 45 फीट तत्पश्चात् श्रीमती संजीदा का मकान, दक्षिण- 45 फीट तत्पश्चात् 12 फीट चौड़ी सड़क। **उस समस्त व एकल निर्माण एवं संरचनाएँ, वर्तमान तथा भावी।**	09.01-2026 एनपीए की तिथि 09.12.2025	रु0 36,02,593.90 साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज दिनांक 10.12.2025 से प्रभावी। खाता संख्या 0148675100003315

आपका सलाह दी जाती है कि (1) आपको सचोधित तथा कोरियर/डाक प्राधिकारी द्वारा वापिस किया गया मूल नोटिस/आवरण को अयोहस्ताक्षरी से अधिक तथा पूर्ण जानकारी के लिए एकत्रित करें और (2) सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही से बचने के लिए ब्याज, खर्चों आदि सहित शेष बकाया धनराशि का उल्लेखित नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करें।

दिनांक: 25.02.2026 **स्थान: मेरठ** **प्राधिकृत अधिकारी**

pnb पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

एआरएमबी, दक्षिणी दिल्ली, 4वां तल, 7, **भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066**
ई-मेल : cs4168@pnb.bank.in

संशोधित अनुलग्नक - 31 (संशोधित एसआई-4)

उधारकर्ता को नोटिस दिनांक: 25-02-2026

सेवा में,
मेसर्स एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड 101 ए, द्वितीय तल हरि नगर, आश्रम, नई दिल्ली-110014
श्री कृष्ण कुमार मवाई पुत्र श्री महेंद्र सिंह मवाई, मैसर्स एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड के निदेशक, ए-600, पॉकेट-ए, सरिता विहार, नई दिल्ली-110096
श्री कृष्ण कुमार मवाई - (गारंटर), ए-600, पॉकेट-ए, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076
आदित्य कुमार (निदेशक), 101 ए, द्वितीय तल, हरि नगर, आश्रम, नई दिल्ली-110014
अनिल झा (निर्देशक), 101 ए, द्वितीय तल हरि नगर, आश्रम, नई दिल्ली-110014
सुश्री शीतल मवाई पत्नी श्री कृष्ण कुमार मवाई (गारंटर) ए-600, पॉकेट-ए, सरिता विहार, नई दिल्ली-110096
सुश्री राम रति देवी पत्नी श्री महेंद्र सिंह मवाई (गारंटर) सी-24, एमआईजी, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी.
श्री महेंद्र सिंह मवाई पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह, (गारंटर), सी-24, एमआईजी, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी.

विषय: वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

प्रिय महोदय,

आपके अनुरोध पर, आपको बैंक द्वारा इसकी शाखा महारानी बाग, नई दिल्ली (150900) के माध्यम से बाद में एआरएमबी, दक्षिण दिल्ली (416800) को हस्तांतरित खाते में, समय-समय पर बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाने वाली विभिन्न परिसंपत्तियों के विरुद्ध वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उक्त क्रेडिट सुविधाओं और आपके द्वारा निष्पादित सुरक्षा समझौते/दस्तावेजों के प्रासंगिक विवरण क्रमश: अनुसूची 'ए' और 'बी' में दिए गए हैं, जिसमें चल संपत्तियों की गिरवी शामिल नहीं है। आपने उक्त अनुबंध(ओं)/दस्तावेज(ओं) के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए एक वचनबद्धता के साथ वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है।

2. आपने बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाते हुए स्वामित्व विलेख/पंजीकृत बंधक को जमा करके बंधक भी बनाया है। ऐसे बंधक से संबंधित दस्तावेज भी अनुसूची 'बी' में दिए गए हैं।

3. सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रासंगिक विवरण अनुसूची 'सी' में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

4. आपने समय-समय पर शेष राशि की पुष्टि और पुनरुद्धार पत्रों और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करके उपरोक्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में दायित्व के निर्वाह को भी स्वीकार किया है। उपर्युक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधाओं का संचालन और संचालन अनियमित हो गया है, और मूल ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में आपके द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण को 31.03.2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5. उक्त वित्तीय सहायता निम्नलिखित की गारंटी द्वारा भी सुरक्षित है:
1. श्री कृष्ण कुमार मवाई-(गारंटर)
2. सुश्री राम रती देवी पत्नी श्री महेंद्र सिंह मवाई (गारंटर)
3. सुश्री शीतल मवाई पत्नी श्री कृष्ण कुमार मवाई (गारंटर)
4. श्री महेंद्र सिंह मवाई पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह, (गारंटर)
से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, आप उक्त बकाया/बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहे हैं और उपेक्षा की है।

6. इसलिए, बैंक इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक को इसके तहत बताई गई आपकी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने के लिए इस नोटिस को जारी करके उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपसे आह्वान करता है। बैंकों को देय और बकाया आपकी कुल बकाया देनदारियां राशि रु. 11,85,51,057.00 (रु. ग्यारह करोड़ पिचासी लाख इक्यावन हजार सत्तावन मात्र) दिनांक 31.03.2015 तक अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार सहित। आप आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य में ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

7. यदि आप बैंक को उपरोक्त राशि रु. 11,85,51,057.00 (रु. ग्यारह करोड़ पिचासी लाख इक्यावन हजार सत्तावन मात्र) दिनांक 31.03.2015 तक अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार सहित, जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के संदर्भ में ऊपर कहा गया है, चुकाने में विफल रहते हैं जो बैंक धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा।

8. आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13 की उप-धारा 13 के अनुसार आप बैंक की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस नोटिस की अनुसूची 'सी' में विस्तृत उक्त सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे।

9. हम आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं, जो उधारकर्ता/गारंटर को सुरक्षित संपत्ति को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताता है।

10. बैंक आपके पास उन देनदारियों को चुकाने के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित है जो बकाया बिलों में छूट के तहत बैंक गारंटी और आपकी ओर से जारी और स्थापित क्रेडिट पत्र के साथ-साथ अन्य आकस्मिक देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं।

11. यह नोटिस बैंक के इस तरह के अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही को शुरू करने के अधिकार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना है जैसा कि वह कानून के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक समझता है।

नोट: कृपया ध्यान दें कि पहले का 13(2) नोटिस वापस ले लिया गया है

अनुसूची 'ए'

उधारकर्ता का नाम: मेसर्स आर्म टेक इंडिया लिमिटेड सीसी खाता नं. 1509008700007889, 1509008700008143 और 150900UR00000024

सुविधा	लिमिट	एनपीए 31.03.2015 की तिथि तक शेष बकाया	ब्याज (एनपीए की तिथि से 31.01.2026)	डेबिट अन्य प्रभार	डेबिट अन्य प्रविष्टियाँ	एनपीए की तिथि के बाद वसूली	दिनांक 31.01.2026 तक कुल बकाया
1509008700 007889 - CC	रु. 400.00 लाख	41047879	212379438	1464391.84	21075883	1788858.45	274178733.39
1509008700 008143- CC	रु. 229.00 लाख	23431931	58304606	22360	50	6159277	75599670
150900UR00 000024- LG	रु. 871.00 लाख	54071247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	रु. 1500 लाख	118551057	270684044	1486751.84	21075933	7948135.45	349,778,403.39

अनुसूची 'बी'

दस्तावेजों की सूची (सुरक्षा दस्तावेजों का विवरण जिसमें सभी अनुपूरक दस्तावेज और बंधक के निर्माण को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज शामिल हैं)

क्र. सं.	प्रतिभूति का विवरण और प्रकार	दस्तावेज का नाम (आशय पत्र)	मूल सेल डीड	सुरक्षित राशि (रु.)
1.	(1) फ्लैट नं. एलआईजी-VF-04, माप 31.50 वर्ग मी., प्रथम तल विनायक एवेन्यू, गांव कररिया, तेह: हुजू, जिला भोपाल एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में	आशय पत्र दिनांक 29.11.2010	उप-रजिस्ट्रार भोपाल, एमपी में बुक 41, खंड 24379, पृष्ठ-8-14 पर पंजीकृत मूल बिक्री विलेख	सीसी को रु. 200 लाख से बढ़ाकर रु. 400 लाख किया गया
2.	(2) फ्लैट नं. बी-308, चौथी मंजिल, माप 750 वर्ग फीट वर्धमान सिटी प्लाजा, छोला रोड, वार्ड नं. 18, तेह: हुजूर, जिला, भोपाल एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में	आशय पत्र दिनांक 28.11.2010	मूल बिक्री विलेख दिनांक 16.09.2010 खंड संख्या: ए1/34508, दस्तावेज संख्या: 12/2056 के रूप में भोपाल, एमपी में पंजीकृत	रु. 400.00 लाख
3.	(3) फ्लैट खसरा नं. 926, माप 250 वर्ग गज गांव दतावली, गेसुपुर, गढ़ रोड, मेरठ, महेंद्र सिंह मवाई के स्वामित्व में	आशय पत्र दिनांक 11.02.2011	मूल बिक्री विलेख सं. 4805, बुक सं. 1/2985, अतिरिक्त बुक सं. 3036 दिनांक 16.03. 1985 को पृष्ठ 495-498 पर पंजीकृत	सीसी को रु. 200 लाख से बढ़ाकर रु. 400 लाख किया गया
4.	(4) फ्लैट नं. 201, दूसरी मंजिल, माप 1208, वर्ग फीट फ्री होल्ड प्लॉट भूमि संख्या G-XIV पर निर्मित लेक व्यू अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है सेक्टर-1, रक्षा खंड शारदा नगर योजना, राय बरेली रोड, लखनऊ, एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में	आशय पत्र दिनांक 30.09.2014	मूल बिक्री विलेख सं. 4387 दिनांक 30.03. 2011	सीसी को रु. 200 लाख से बढ़ाकर रु. 400 लाख किया गया
5.	1901, सेक्टर 28, माप 520 वर्ग गज, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, शीतल मवाई के स्वामित्व में	आशय पत्र दिनांक 13.02.2008	मूल हस्तांतरण विलेख सं. 3088 दिनांक 13.02. 1994	सीसी लिमिट के लिए: रु. 50 लाख बीजी: रु. 1.00 करोड़
6.	एमआईजी मकान नं. सी-24, माप 186.98 वर्ग मी., स्कीम संख्या 3, शास्त्री नगर, मेरठ राम रति देवी पत्नी महेंद्र सिंह के स्वामित्व में	आशय पत्र दिनांक 13.02.2008	मूल बिक्री विलेख सं. 1347/92 दिनांक 17. 09.1992	सीसी लिमिट के लिए: रु. 50 लाख बीजी: रु. 1.00 करोड़

अनुसूची 'सी'

पार्ट-I
(चल सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक)
17.05.2024 की विजिट रिपोर्ट के अनुसार यूनिट बंद है
पार्ट-II
(अचल संपत्तियों का न्यायसंगत बंधक)
संपत्ति का विवरण

(1) फ्लैट नं. एलआईजी-VF-04, माप 31.50 वर्ग मी., प्रथम तल विनायक एवेन्यू, गांव कररिया, तेह: हुजू, जिला भोपाल एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में

(2) फ्लैट नं. बी-308, चौथी मंजिल, माप 750 वर्ग फीट वर्धमान सिटी प्लाजा, छोला रोड, वार्ड नं. 18, तेह: हुजूर, जिला, भोपाल एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में

(3) फ्लैट खसरा नं. 926, माप 250 वर्ग गज गांव दतावली, गेसुपुर, गढ़ रोड, मेरठ, महेंद्र सिंह मवाई के स्वामित्व में

(4) फ्लैट नं. 201, दूसरी मंजिल, माप 1208, वर्ग फीट फ्री होल्ड प्लॉट भूमि संख्या G-XIV पर निर्मित लेक व्यू अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है सेक्टर-1, रक्षा खंड शारदा नगर योजना, राय बरेली रोड, लखनऊ, एआरएम टेक इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में

(5) 1901, सेक्टर 28, माप 520 वर्ग गज, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, शीतल मवाई के स्वामित्व में

(6) एमआईजी मकान नं. सी-24, माप 186.98 वर्ग मी., स्कीम संख्या 3, शास्त्री नगर, मेरठ राम रति देवी पत्नी महेंद्र सिंह के स्वामित्व में

दिनांक : 25.02.2026, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय ऋणग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा, 75/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ (उ. प्र.)- 250004
फोन : 8477000776, ईमेल : sarmee@bankofbaroda.com

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अनुसार उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को 15/30 दिवसीय साँविधिक विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

(परिशिष्ट IV-ए, 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें, अचल संपत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे विवरणित अचल संपत्ति/याँ, जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास दृष्टिबंधककृत/बंधककृत/प्रभारित रखी गई हैं, जिनका अधिग्रहण बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उनका अब निम्न उल्लिखित खाता/तों में विनिर्दिष्ट बकाया देयराशियों की वसूली के लिये **"जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं"** आधार पर विक्रय किया जायेगा। उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/प्रतिभूत परिसंपत्ति/यों/बकाया देयराशियों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी तिथि एवं समय, धराज और बोली वृद्धि राशि के विवरण नीचे दिये गये हैं-

क्र. सं.	उधारकर्ता/ओं/गारंटर/रों/ बंधककर्ता के नाम तथा पते	अचल संपत्ति के विवरण	कुल देयराशियाँ	ई-नीलामी की तिथि/ समय	आरक्षित मूल्य / धराज / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	अधिग्रहण की स्थिति- (रचनात्मक / भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि तथा समय
1.	**मैसर्स एमटी कांट्रैक्टर :** निवासी बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर- 247001 **तोहिद अहमद पुत्र मोहम्मद रिजवान (प्रोप्रराइटर)** निवासी बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001 **मुस्ताक अहमद पुत्र मोहम्मद सद्दीक (गारंटर)** निवासी बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001 **रिजवान अहमद पुत्र इस्लाम (गारंटर)** निवासी बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001	1. आवासीय संपत्ति जो मोहम्मद रिजवान अहमद पुत्र इस्लाम अहमद के नाम पर, मोह. बड़ी तरफ शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001, उ. प्र. में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 146.90 वर्ग गज है तथा सीमाएँ निम्नानुसार हैं :- पूर्व- 13 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर- अली अहमद की संपत्ति, पश्चिम- परवीन का निवास, दक्षिण' उस्मान का निवास। 2. मुस्तक अहमद पुत्र मोहम्मद सद्दीक की आवासीय संपत्ति, जो खसरा सं. 2713, मोह. बड़ी तरफ शेखपुरा कदीम सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल 423.50 वर्ग गज है। सीमाएँ निम्नानुसार हैं :- पूर्व- दिलशेर का घर, उत्तर- 12 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम- 15 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण- मुकरम का घर। **ऋणभार, यदि कोई है - ज्ञात नहीं**	रु. 42,84,218/- (रुपये बयालीस लाख चौरासी हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) 12.03.2024 के अनुसार और 01.01.2024 से भावी ब्याज, दंडात्मक ब्याज, कानूनी शुल्क और अन्य विविध व्यय	16-03-2026 को अप. 02.00 से सायं 06.00 बजे	रु. 14,90,000/- रु. 1,49,000/- रु. 10,000/- रु. 25,13,000/- रु. 2,51,300/- रु. 10,000/-	रचनात्मक अधिग्रहण	10.03.2026 को अप. 03:00 से सायं 05:00 बजे

विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm तथा ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com/ में दिये गये वेबसाइट लिंक का संदर्भ ग्रहण करें / उसे देखें। संभावित बोलीदातागण मोबाइल नंबर- 8477000776 पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

दिनाँक : 25-02-2026, स्थान : मेरठ **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय: जी- 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, दिल्ली-110005।

ई नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) "जैसा है जहां है आधार" और "जैसा है वैसा है आधार" पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर के आधार पर आयोजित की जाएगी।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	22.02.2026 तक वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	भारतीय रुपये में आरक्षित मूल्य	भारतीय रुपये में बयाना राशि जमा (ईएमडी)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	47939420002120	1) श्री विवेक कुमार, पुत्र श्री सुभाष चंद्र शर्मा (आवेदक), 2) श्रीमती सुमनलता शर्मा, पत्नी श्री सुभाष चंद्र शर्मा (सह-आवेदक)	05-06-2025	13-12-2025	29,62,253.20 रुपये (रुपये उनतीस लाख बासठ हजार दो सौ तिरपन और बीस पैसे केवल)	17.03.2026 प्रातः 09:30 बजे को 5:00 दोपहर	रुपयें 20,97,000 /- (केवल बीस लाख सत्तानवे हजार रुपये)	रुपयें 2,09,700 /- (दो लाख नौ हजार सात सौ रुपये मात्र)	31.03.2026 समय 11:00 बजे दिन	**30.03.2026 सायं 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई.ए. आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, दिल्ली-110005**
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: प्लॉट संख्या 73 और 74-ए वाली संपत्ति के ऊपरी भूतल के मध्य भाग (छत के अधिकार के बिना), जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग गज है, जो 168 वर्ग गज के कुल क्षेत्रफल में से एक है, खसरा संख्या 80/